फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादी**
अर्जुनराम पुत्र नगा जाति गरासिया निवासी पीपला तहसील बाली वगैरा		राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. -2025/ 633

वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
15/10/25	तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम पीपला स्थित भूमि खसरा न0 3731 रकबा 1.0900 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल लगान 7.63 के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हलका, पीपला एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (मुहर: न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली (राज.)) सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली (मुहर: सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली)	

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
अर्जुनराम पुत्र नगा जाति गरासिया निवासी पीपला तहसील बाली वगैरा		राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2025/633
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष पेरोकार सरकार मिनजानिब मुद्दई व .... मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम सेवाडी स्थित भूमि खसरा न0 3731 रकबा 1.0900 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल लगान 7.63 के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, पीपला एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत वं मुहर अदालत के आज तारीख 15/10/25 को जारी की गई।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पाली (राज.)

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

BX 575556

राजस्थान सरकार
राजस्थान RAJASTHAN
उप कोषालय, बाली

नकल नक्शा ट्रेसवार
ग्राम - पीपल्या
तहसील - बाली
जिला - पाली
पैमाना 1 cm = 40 मी.

उक्त स्टाम ग्राम - पीपल्या की खसरा संख्या 42 जमाबंदी संवत 2073-2076 के आपसी सहमति बंटवारे हेतु लगाया गया है।

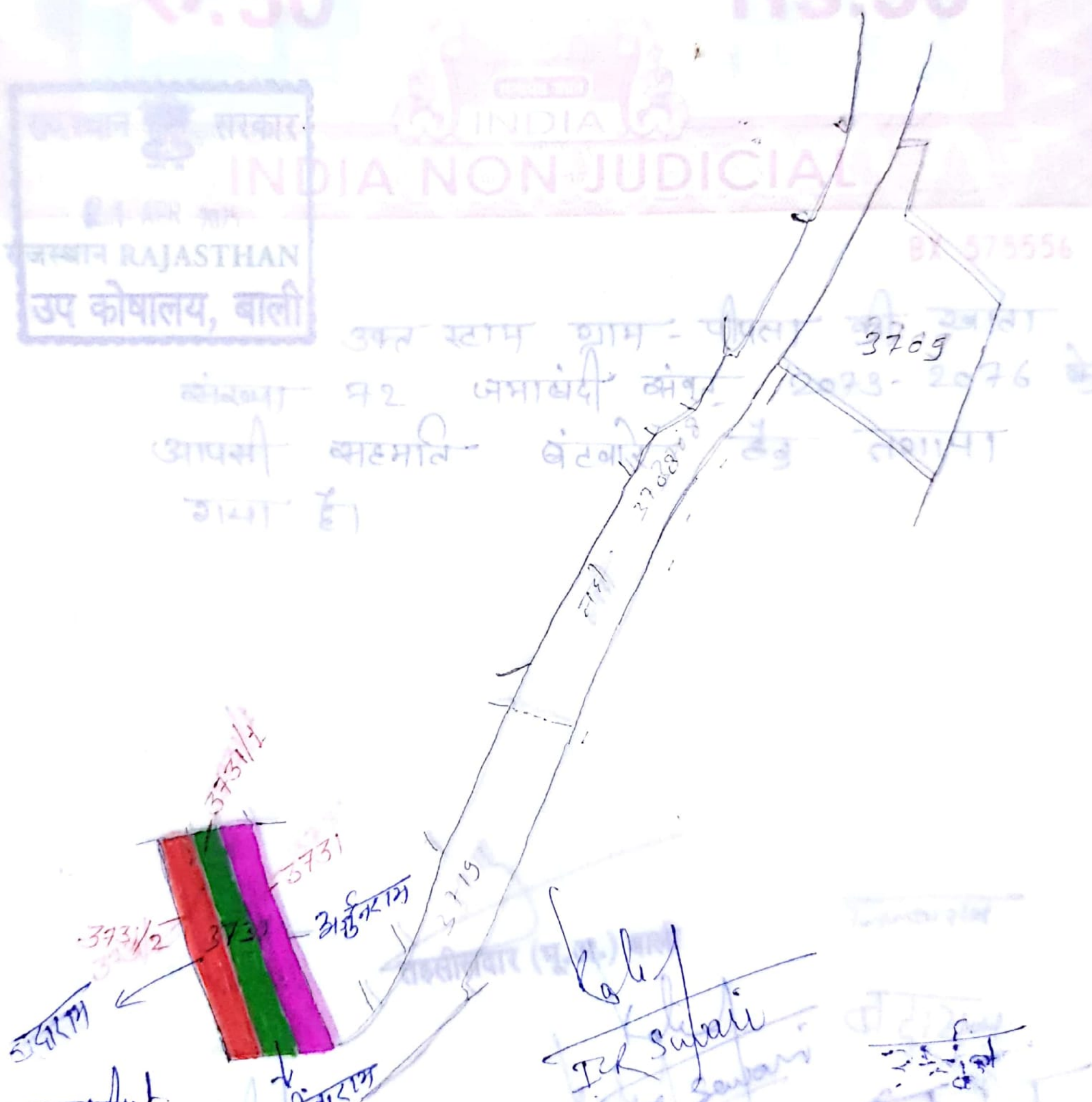

पटवारी
पटवार मण्डल
तह.-बाली, जिला-पाली

तहसीलदार (भू.अ.) बाली

तहसीलदार (भू.अ.) बाली

Scanned by CamScanner